बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–48 / 2017– 5233 (5) पटना, दिनांक 27/3/26

श्री भगवान राम, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० सम्प्रति सेवानिवृत्त के कार्य प्रमंडल, भागलपुर के पदस्थान अवधि में पथ प्रमंडल, लखीसराय पदस्थापन अवधि में जमुई जिलान्तर्गत खैरा–सोन्हों (NH-333A) के कि०मी० 02 एवं 10 में क्रमशः क्यूल नदी पर अवस्थित नरियाना पुल एवं सुकनर नदी पर अवस्थित मांगोबंदर पुल के अल्प समय में क्षतिग्रस्त हो जाने के संबंध में तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग से जाँच कराई गई। निगरानी विभाग के पत्रांक–1012 (अनु०) दिनांक–20.03.2020 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन विभागयी कार्यालय आदेश सं०–60 दिनांक–04.06.2020 के द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा की गयी। समिति के द्वारा दोनो पुलों का स्थल निरीक्षण करते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–926 (एस) दिनांक–21.02.2023 के द्वारा श्री राम के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप के बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) विभाग द्वारा गठित समिति में दिनांक–25.06.2020 के स्थल निरीक्षण के क्रम में दोनों पुलों के Girder के Bottom में Honey Comb पाया गया। स्पष्ट है कि बतौर वरीय परियोजना अभियंता श्री राम के द्वारा Supervision में चूक की गई, जिससे कार्य का Workmanship प्रभावित हुआ, जो इतने बड़े घटना का जनक बना। इसके लिए श्री राम से विभागीय पत्रांक–6858 (एस) दिनांक–11.12.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री राम ने पत्रांक–1294 (अनु०) दिनांक–18.12.2020 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि वरीय परियोजना अभियंता के रूप में उनके पास अत्यधिक कार्यबोझ था, जिससे ढलाई के वक्त स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर ढलाई कराना संभव नहीं था। विभागीय समीक्षा के क्रम में श्री राम का यह तर्क इतने महत्वपूर्ण परियोजना को देखते हुए स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

(ii) विभाग द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के अनुसार MoRTH का वर्ष 1978 के निरूपण के अनुसार Girder का Bottom width 550mm मात्र है एवं इसमें 28dia-24Nos छड़ का प्रावधान चार Layer में यथा 28dia-8Nos का दो Layer एवं 28dia-4Nos का भी दो layer छड़ का प्रावधान रहने के कारण थोड़ी सी असावधानी भी Concrete में Honeycomb का कारण बन सकता है। इस तथ्य से भली–भाँति अवगत रहने के बावजूद भी कार्य के दौरान बतौर वरीय परियोजना अभियंता श्री राम ने अपना पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यह एक गंभी चूक है, जो सरकारी राजस्व के हानि के साथ जान–माल के क्षति के लिए भी उत्तरदायी है। श्री राम के पर्यवेक्षण के अभाव में संवेदक को Workmanship में गड़बड़ी का अवसर प्राप्त हुआ।

2. उक्त गठित आरोपों के लिए श्री राम के द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक–05.04.2023 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत श्री राम का अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–310 (एस) दिनांक–14.01.2025 के द्वारा जाँच आयुक्त–सह–संचालनप पदाधिकारी के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. जाँच आयुक्त–सह–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–01 / 2025 में जाँच आयुक्त के द्वारा पत्रांक–28 / स०को०अनु० दिनांक–09.12.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसमें निष्कर्ष के तहत श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध गठित अरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव–बयान, साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये अभिलेखों

तथा गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरिक्षण के सूक्ष्म अवलोकन के उपरांत मुख्य रूप से निम्न तथ्यों/तर्कों के आधार पर गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है:–

(i) आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध दो पुलों के निर्माण में आरोपित किया गया है। संलग्न साक्ष्य से स्पष्ट है कि एक पुल खैरा–सोन्हों पथ (NH-333A) के कि०मी० 2.00 पर अवस्थित नरियाना पुल के निर्माण की अवधि में आरोपित पदाधिकारी पदस्थापित नहीं रहे है।

(ii) दूसरे पुल खैरा–सोनहों पथ (NH-333A) के कि०मी० 10.00 के सुकनर नदी पर अवस्थित माँगोबंदर पुल के मामले में विभागीय आरोप के साथ संलग्न तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन तथा विभागीय जाँच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से Girder के Fail होने का निम्न कारण बताया गया है:–

(a) Failure of girder in tension
(b) Stagnant Loading
(c) Deficient Design of Super Structure

(iii) तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन में अंकित उक्त तथ्यों से उपस्थित गवाहों द्वारा भी कोई असहमति व्यक्त नहीं की गयी। उपरोक्त वर्णित तीनों कारण में आरोपित पदाधिकारी की कोई सहभागिता संलग्न साक्ष्य में परिलक्षित नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि विभागीय समीक्षा में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप निराधार हैं। अतएव आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध दोनों आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी श्री राम के द्वारा दिनांक–11.07.2010 को संबंधित प्रमंडल का प्रभार ग्रहण किया गया, जबकि जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कथित दो पुलों में से एक पुल यथा नरियाना पुल के कार्य समाप्ति की तिथि 04.05.2010 है। इस प्रकार स्पष्ट होता है, कि नरियाना पुल के निर्माण कार्य की अवधि में श्री राम संबंधित प्रमंडल में पदस्थापित नहीं थे। साथ ही जाँच आयुक्त के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य दोनों पुलों के Girder के Fail होने के संबंध में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उसकी साक्ष्यगत पुष्टि निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन से होती है। अतएव संचालन पदाधिकारी के द्वारा गठित किया गया निष्कर्ष/अभिमत साक्ष्यगत है।

5. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन साक्ष्यगत पाये जाने की स्थिति में इससे सहमत होते हुए श्री भगवान राम, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–48 / 2017– /पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–48 / 2017– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)**।

ह० / –

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–48 / 2017– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय / कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर / अवर सचिव (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 / 2 / 3 / 6 / 13 / 14, एवं 30, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना **/श्री भगवान राम, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता), सम्प्रति सेवानिवृत्त, पताः–4 एम / 25, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, डाकघर–हाउसिंग कॉलोनी, थाना–अगमकुँआ, पटना, पिन–800026** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–48 / 2017– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–48 / 2017– 5234 (S) /पटना, दिनांक 27/7/16

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

27.7.2016

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।